न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री संजना जोशी आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 185/2021

1. गुरतेजसिंह पुत्र पालसिंह जाति जटसिख साकिन खोसेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. कुलदीप सिंह पुत्र अंग्रेज सिह जाति जटसिख साकिन खोसेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. हरदीप सिंह पुत्र अंग्रेज सिह जाति जटसिख साकिन खोसेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

– – वादीगण

–:बनाम:–

1. जगदेव सिंह पुत्र गोपाल सिंह उर्फ कृपाल सिंह जाति जटसिख साकिन खोसेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

– – प्रतिवादीगण

<u>दावा अन्तर्गत धारा आर.टी.ए. 53, 188 बाबत् खाता विभाजन एवं शाश्वत व्यादेश</u>

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री जगजीत सिंह रमाणा अधिवक्ता — **वादीगण**
2. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता — **प्रतिवादी सं. 1**
3. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा — **प्रतिवादी सं.2**

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 10/10/23

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाद के पक्षकारों का रजिस्टर्ड पता वही है जो कि वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है।

वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के नाम संयुक्त खाता में कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 10 पीबीएन–ए के खाता सं. 48/26 के प.नं. 41/297(39) किला नं. 4 ता 7, 14 ता 17 की 2.024 हैक्टेयर, प.नं. 42/297(38) किला नं. 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.165, 5/2/0.025 की 1.202 हैक्टेयर इस प्रकार दोनों पत्थरों की कुल 3.226 हैक्टेयर नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी में वादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा, वादी सं. 2 का 1/8 हिस्सा, वादी सं. 3 का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड वाके है। जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

वादीगण के नाम वाद पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त खाता की भूमि है। प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं. 1 ने प.नं. 41/297 के किला नं. 4 में ढ़ाणी बना रखी है जिसमें वह निवासरत है। कृषि भूमि संयुक्त खाता की है। इस कारण प्रत्येक ईन्च पर प्रत्येक सह खातेदार का कानूनन हक निहित है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य इस संयुक्त खाता की कृषि भूमि बाबत् आये दिन सींव बट व रकमराज को लेकर

नाजा बना रहता है। प्रतिवादी सं. 1 संयुक्त खाता होने के कारण हर साल बीघे काश्त करने के लिये अदला बदली करता रहता है। जिससे वादीगण को परेशानियों का सामना करना पड़ता है व हर वक्त सांझा खाता होने के कारण व कब्जा काश्त के बीघे अदल बदल करने से वादीगण को काश्त करने में असुविधा पैदा होती है व फसल अच्छी नहीं हो पाती। इस कारण वादीगण प्रतिवादी सं. 1 से बेहद तंग व परेशान है। इन परेशानियों से निजात पाने के लिये वादीगण वाद पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि में अपने हिस्सा की कृषि भूमि को रास्ता खाला की सुविधा अनुसार अच्छी में से अच्छी व मंदी में से मंदी का खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी सं. 1 जो कि लालची किस्म का व्यक्ति है। प्रतिवादी सं. 1 संयुक्त खाता होने के कारण हर साल बीघे काश्त करने के लिये अदला बदली करता रहता है। जिससे वादीगण को परेशानियों का सामना करना पड़ता है व हर वक्त सांझा खाता होने के कारण व कब्जा काश्त के बीघे अदल बदल करने से वादीगण को काश्त करने में असुविधा पैदा होती है व फसल अच्छी नहीं हो पाती। इस कारण वादीगण प्रतिवादी सं. 1 से बेहद तंग व परेशान है। वादीगण अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि को काफी मेहनत कर उपजाऊ लायक बनाने पर प्रयासरत रहता है लेकिन प्रतिवादी सं. 1 हर समय झगड़ा करने पर उतारू रहता है व वादीगण द्वारा काफी मेहनत से समतल व उपजाऊ भूमि पर कब्जा करने की फिराक में रहता है व आये दिन वादीगण को धमकी देता है कि वह किला नं. 4 में बनी ढ़ाणी पर तो कब्जा रखेगा ही व किला नं. 6 जिससे आना जाना सुगम है किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान कर देगा व विशिष्ट किला नं. पर किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान कर कब्जा करवाकर आपके लिये असुविधा पैदा करेगा। इन विकट परिस्थितियों में वादीगण को पूरा अंदेशा है कि वह किसी भी झगड़ालू व्यक्ति को कृषि भूमि बिना खाता विभाजन करवाये औने पौने भाव में बेचान कर वादीगण के काश्त में असुविधा पैदा कर सकता है व आये दिन कृषि भूमि में सिंचाई पानी को लेकर झगड़ा फसाद करने पर उतारू रहता है व नियामत ही झगड़ालू व क्रोधी किस्म का व्यक्ति है। जिससे वादीगण बेहद ही तंग व परेशान है व उसके द्वारा आये दिन भूमि बेचान करने संबंधी धमकियों से वादीगण बेहद ही तंग व परेशान है। यदि वह अपने मकसद में कामयाब हो गया तो वादीगण को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी जिसकी भरपाई किया जाना असंभव होगा। इन अत्यावश्यक व तात्कालिक परिस्थितियों के दृष्टिगत वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का शाश्वत व्यादेश प्राप्त करने के अधिकारी है कि प्रतिवादी सं. 1 अपने नाम दर्ज संयुक्त खाता की कृषि भूमि को बिना खाता विभाजन करवाये रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करें व मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 को कई दफा कहा कि वे वादीगण के हक हिस्सा की कृषि भूमि का अच्छी मंदी व खाला रास्ता की सुविधा अनुसार खात विभाजन करवा देवे व भूमि को बिना खाता विभाजन करवाये रहन बैय व मुन्तकिल न करे तो वह कुछ दिन तो टालमटोल करते रहे परन्तु आज से 2 दिन पूर्व ऐसा करने से बिल्कुल मना हो गये बस यही वाद कारण

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रतिवादी सं. 2 के खिलाफ वादीगण को कोई प्रत्यक्ष अनुतोष हासिल नहीं है परन्तु वह भू–धारक है इसलिये उन्हें आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

अर्जीदावा श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः अर्जीदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) वाद पत्र की दफा 3 अनुसार वादीगण का खाता अच्छी मंदी व खाला रास्ता की सुविधा अनुसार प्रतिवादी सं. 1 से तकसीम कर रकम राज अलग कायम किया जावे।

(ख) शाश्वत व्यादेश विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर का जारी किया जावे कि प्रतिवादी सं. 1 अपने नाम दर्ज संयुक्त खाता की कृषि भूमि को बिना खाता विभाजन करवाये रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

(ग) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(घ) अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय उचित समझे दिलवाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गयी कि दोनों पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गयी। पहचान सिद्ध होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा से जवाब स्टेट प्राप्त हुआ शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपने पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें की दशा में तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि होती है तो उसकी पूर्ति हेतू नियमानुसार स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत करने की स्थिमि में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार) पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 10/10/23 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Sanjana

(संजना जोशी)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा